

14-6-24

पत्रावली पेश हुई, न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 28.6 को पेश हो।

28-6-24

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 4.7 को पेश हो।

4-7-24

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील वादी ने बताया कि प्रतिवादी सरव्य 3 ने अपना एक हिस्सा वादी के पक्ष में एक त्याग किया जा चुका है। तहसीलदार भाण्डल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शाब्दिक किया गया। वकील वादी ने बहस करनी चाही। वकील वादी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की इस्तुआ की।

पत्रावली के लिए न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 4.7 को पेश हो।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार भाण्डल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया, वकील वादी की बहस पर मनन किया। वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार भाण्डल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के मध्य निम्नानुसार आराजियात शाजस्व रैकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है

गोपाल ड/० जुवाना तेली सा. ट्रेड रवातेदार

आराजी नं. रकबा विस्म

636/3


L. 0623 हू



2. श्रीमती मूनी ७।० श्री मोहन पार सा.देहातेदार  
(रिहम पूर्व खाता बैंक ऑफ नदीय शाखा भाद्र)  
आराजी नं. रकबा किस्म  
636/1 0.5058 ह० बेंजड

3. श्री लालू 5।० श्री भुवामा तेली सा.देहातेदार  
आराजी नं. रकबा किस्म  
636/2 0.2529 ह० बेंजड

उक्तानुसार अमि वादी ऐप प्रतिवादी सेरव्या  
1 लगायत 2 के हक हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड  
मे दर्ज करे। तहसीलदार भाण्डल राजस्व रेकार्ड  
मे अमल दरामद करे। तदनुसार डिर्की जारी  
है। पत्रावली फलल शुमार होकर नम्बर से  
कम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा